न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–93/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/352)

1. नवल किशोर पुत्र श्री मूलचन्द उम्र लगभग 40 वर्ष जाति कुम्हार निवासी घाटडा तहसील टहला जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ अलवर।
3. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक 07.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का ग्राम घाटडा तहसील टहला जिला अलवर निवासी भूमिहीन किसान है तथा अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट को ग्राम नेडोली तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2.49 हैक्टयर किस्म बंजड में से 0.90 हैक्टयर, सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/2101 दिनांक 02.03.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अपीलान्ट को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर आवंटित भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं अपीलार्थी आवंटित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 08.11.2022 को प्रेषित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के नेतृत्व में गठित एक संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा उक्त आवंटन को भू आवंटन नियम 1970 के विपरित मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर अलवर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 08.11.2022 का विस्तृत जवाब पेश

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

किये जाकर जिला कलक्टर अलवर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर विधिक रूप से अपीलार्थी कब्जा काश्त है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नही है, भूमि की किस्म सिवायचक है तथा अपीलान्ट भूमिहीन व गरीब परिवार की श्रेणी में आता है। आवंटी, आवंटन नियम की समस्त शर्तो की पालना करता रहा है उसके बावजूद जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नही देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया व विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपास्त कर दिया गया, जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का परिवार का बहुत ही गरीब और सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल–कपट नही किया गया है और अपीलार्थी द्वारा भू आवंटन नियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नही किया गया है तथा अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन) 1970 की समस्त शर्तों हेतु पात्रता रखता है और इसीलिये आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतय पालना करते हुऐ ही अपीलार्थी को भूमि आवंटन हेतु पात्र मानते हुए ही विधि सम्मत आवंटन किया गया है लेकिन जिला कलक्टर अलवर ने बिना न्यायिक दृष्टिगण के व भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही केवल एकतरफा की गई फौरी जॉच को ही आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो आदेश विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 8582/2022 दिनांक 18.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश 2020–21/2101 दिनांक 02.03.2022 को बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर द्वारा एक संयुक्त जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने पत्र दिनांक 04.10.2022 से अवगत कराया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवटन) नियम 1970 के तहत अपीलार्थी को आवंटन आदेश क्रमांक एलआर/आवंटन/2021–22/4329 दिनांक 03.03.2022 से आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 5.18 हैक्टयर किस्म बंजड वाके ग्राम घाटड़ा की भूमि में से

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1.25 हैक्टयर भूमि एवं आदेश क्रमांक एल.आर./आवटन/2021–22/2101 दिनांक 02.03.2022 में से आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2.49 हैक्टयर किस्म बंजड वाके ग्राम नैडोली की भूमि में से 0.90 हैक्टयर का आवंटन हुआ है, आवंटी को दोनों ग्राम पंचायतों में आवटन हुआ है एंव आवंटी घेवर ग्राम पंचायत का निवासी नही होकर ग्राम घाटड़ा ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा का मूल निवासी होना अंकित कर आराजी खसरा नम्बर 206 वाके ग्राम नैडोली के आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। उनकी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर द्वारा एक संयुक्त जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने पत्र दिनांक 04.10.2022 से अवगत कराया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवटन) नियम 1970 के तहत अपीलार्थी को आवंटन आदेश क्रमांक एलआर/आवंटन/2021–22/4329 दिनांक 03.03.2022 से आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 5.18 हैक्टयर किस्म बंजड वाके ग्राम घाटडा की भूमि में से 1.25 हैक्टयर भूमि एवं आदेश क्रमांक एल. आर./आवटन/2021–22/2101 दिनांक 02.03.2022 में से आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 2.49 हैक्टयर किस्म बंजड़ वाके ग्राम नैडोली की भूमि में से 0.90 हैक्टयर का आवंटन हुआ है, आवंटी को दोनों ग्राम पंचायतों में आवटन हुआ है एंव आवंटी घेवर ग्राम पंचायत का निवासी नही होकर ग्राम घाटडा ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा का मूल निवासी होना अंकित कर आराजी खसरा नम्बर 206 वाके ग्राम नैडोली के आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है तथा आवंटन विधि सम्मत नही होना मानते हुए एवं आवंटी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही करना जिससे उक्त भूमि का आवंटन योग्य माना जा सके, इत्यादि के आधार पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर अपीलाधीन आदेश 18.11.2022 पारित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

P.T.O

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।